(349)

(457)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश, सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs 20/-

436 31-7-14

R - 2510 - III/14

रामकृपाल गुप्ता तनय त्रेतानाथ गुप्ता, साकिन ग्राम पुर्वा 310, तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

राम खेलावन गुप्ता तनय सुदामा प्रसाद, साकिन ग्राम पुर्वा 310, तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.) हाल मुकाम मकान नं. 41/13 साउथ, टी.टी. नगर, भोपाल।

.... गैर निगरानीकर्ता

श्री बी.पी. चतुर्वेदी एड द्वारा आज दिनांक 31-7-14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 9527 आज दिनांक ________ को प्राप्त 2-8-14 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार, तहसील मनगवां, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र. 16/अ–70/2012–13, पारित आदेश दिनांक 29.07.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है :–

अ – यह कि आराजी नं. 156/1 स्थित ग्राम पूर्वा 310, तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.) के पूर्व भूमि स्वामी भागीरथी गुप्ता तनय सुदामा गुप्ता दर्ज शासकीय अभिलेख थे जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.1999 मालियती 77,000/– रुपये में आवेदक के पिता त्रेतानाथ गुप्ता द्वारा क्रय की गई थी जिसका विधिवत नामान्तरण आवेदक के पिता द्वारा कराया गया था तथा नामान्तरण अनुसार आराजी नं. 156/1/1/3 हुआ

(349)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2510– III / 2014 जिला–रीवा

रामकृपाल गुप्ता / रामखेलावन गुप्ता

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी0पी0 चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 16 / अ–70 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	